आकाशवाणी रायपुर (छत्तीसगढ़)
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

18.45 बुधवार **दिनांक 19.02.2025**

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

मुख्य समाचारः–

- **त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए कल बीस फरवरी को राज्य के तैंतालीस विकासखंडों में वोट डाले जाएंगे।**
- **प्रदेश में अब दुकानों का पंजीयन श्रम विभाग करेगा–चौबीस घंटे और पूरे सप्ताह खोली जा सकेंगी दुकानें।**
- **अंबिकापुर में डिजिटल भू–प्रबंधन के तहत ड्रोन सर्वे के माध्यम से शहरी भू–संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।**
- **आगामी तीन दिनों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के अलग–अलग हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना।**

त्रिस्तरीय–पंचायत चुनाव

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए कल बीस फरवरी को राज्य के तैंतालीस विकासखंडों में वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि मतदान सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक होगा। बस्तर संभाग के लिए सुबह छह बजके पैंतालीस मिनट से दोपहर दो बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है।

दूसरे चरण में पंच पद के लिए पैंसठ हजार सात सौ सोलह, सरपंच पद के लिए पन्द्रह हजार दो सौ सत्रह, जनपद सदस्य के लिए तीन हजार आठ सौ पचासी और जिला पंचायत सदस्य के लिए छह सौ निन्यानवे प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण के तहत छब्बीस हजार नौ सौ अठासी पंच, तीन हजार सात चौहत्तर सरपंच, आठ सौ निन्यानवे जनपद सदस्य और एक सौ अड़तीस जिला पंचायत सदस्य पद पर निर्वाचन के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण का मतदान संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण कर रवाना किया गया। मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए हैं। पंचायत चुनाव के तहत मतदाता मतपत्र के माध्यम से वोट डालेंगे। मतदान के बाद मतदान केन्द्रों में ही मतगणना होगी।

गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के तहत तिरपन विकसखंडों में सत्रह फरवरी को पहले चरण का मतदान हुआ था और उसके परिणामों की घोषणा हो चुकी है। वहीं, तीसरे और अंतिम चरण में तेईस फरवरी को राज्य के पचास विकासखंडों में मतदान कराया जाएगा।

बालोद–पुर्नमतदान

बालोद जिले के डौण्डीलोहरा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत सूरेगांव के वार्ड क्रमांक–आठ में पंच पद के लिए तेईस फरवरी को पुर्नमतदान होगा। पहले चरण के तहत सत्रह फरवरी को हुए मतदान में वार्ड क्रमांक–आठ में दो अभ्यर्थियों को मतपत्र में गलत प्रतीक चिन्ह आवंटित हो गये थे। इस कारण से इस वार्ड के पंच पद के लिए सत्रह फरवरी को हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया गया है। अब इस वार्ड में तेईस फरवरी को पुर्नमतदान कराया जाएगा।

जल विजन–2047–सम्मेलन

केन्द्र सरकार के **'जल विजन दो हजार सैंतालीस'** के तहत राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने जल संरक्षण, जल प्रबंधन और भविष्य की जल नीति को लेकर विचार–विमर्श किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओड़िशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने की। सम्मेलन में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केन्द्रीय राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरूण साव सहित अन्य राज्यों के जल संसाधन मंत्री शामिल हुए।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि जनभागीदारी जल संचय में छत्तीसगढ़, पूरे देश में पहले स्थान पर है। राज्य में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए दो लाख से अधिक संरचनाएं निर्मित की गई हैं। राज्य में जल उपलब्धता के असंतुलन को दूर करने के लिए जल संरक्षण और प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। श्री कश्यप ने बताया कि **'जल विजन दो हजार सैंतालीस'** के तहत राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

दुकान/स्थापना–अधिनियम

प्रदेश में अब दुकानों और स्थापनाओं का पंजीयन नगरीय निकायों के बजाय श्रम विभाग करेगा। वहीं, दुकानें चौबीस घंटे और पूरे सप्ताह खोली जा सकेंगी, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। नई व्यवस्था के तहत, कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने इससे संबंधित छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना (नियोजन तथा सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम दो हजार सत्रह और नियम दो हजार इक्कीस को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम और नियम निरस्त हो गया है। नया कानून केवल दस या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले, बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं।

नये अधिनियम के अनुसार सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने होंगे। दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है। नए अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि में पहले से पंजीकृत दुकानें नए अधिनियम में स्वतः शामिल होंगी। पहले से पंजीकृत दुकानों को छह महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।

विस–बजट सत्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चौबीस फरवरी से शुरू होगा। सत्र के दौरान कुल सत्रह बैठकें होंगी। वित्तमंत्री ओ.पी चौधरी संभवतः तीन मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष दो हजार पच्चीस–छब्बीस के लिए प्रदेश का वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। बजट सत्र के लिए विधायकों ने कुल एक हजार आठ सौ बासठ सवाल लगाए हैं। इनमें नौ सौ तैंतालीस तारांकित और आठ सौ इकहत्तर अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। बजट सत्र का समापन इक्कीस मार्च को होगा।

अंबिकापुर–डिजिटल भू–प्रबंधन

अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में डिजिटल भू–प्रबंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए नक्शा परियोजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने मध्यप्रदेश के रायसेन से इस परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके तहत ड्रोन सर्वे के माध्यम से शहरी भू–सम्पत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे संपत्ति विवादों का त्वरित समाधान होगा और भूमि स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी बनेंगे।

इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह परियोजना शहरी भूमि प्रबंधन को आधुनिक बनाएगी और सम्पत्तियों के स्वामित्व से जुड़ी समस्याओं को जल्द सुलझाने में सहायक होगी। उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक से सम्पत्तियों का हवाई सर्वे कर फोटो और वीडियो डेटा एकत्र किया जाएगा, जिसे भविष्य में सरकारी दस्तावेजों और भूमि रिकॉर्ड में सटीकता लाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

यह परियोजना देश के छब्बीस राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के एक सौ इकतालीस जिलों में लागू की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, जगदलपुर और धमतरी भी शामिल हैं।

अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, कलेक्टर विलास भोसकर समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए।

गांजा तस्कर–संपत्ति जब्त

मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट ने बिलासपुर जिले में गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार जीआरपी के आरक्षक समेत चार आरोपियों द्वारा अर्जित की गई करीब डेढ़ करोड रूपए की अवैध संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया है। यह मामला तेईस अक्टूबर दो हजार चौबीस का है। जी.आर.पी. थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल बीस किलो गांजा जब्त किया था। जांच के दौरान जीआरपी थाने में पदस्थ चार आरक्षक गांजा तस्करी के कारोबार में शामिल पाए गए। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों की जांच में पाया कि आरोपियों ने गांजा तस्करी से अर्जित अवैध रकम को अपने और बेनामी खातों में जमा किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों की संपत्तियों को जब्त किया गया था।

मौसम

प्रदेश में आगामी तीन दिनों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के अलग–अलग हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एच.पी. चन्द्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण कल से प्रदेश के मौसम में बदलाव होने के असार है।

संक्षिप्त समाचार

– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।

– भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार ने आज कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है।

– राजनंदगांव के कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष भागवत साहू ने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक तीन से चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।

– दुर्ग कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर तीन प्रधान पाठक और एक उप अभियंता को निलंबित कर दिया है।

– बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस और एसीसीयू टीम ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से आठ मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>